दैनिक नवज्योति दिनांक 12/1/2016

राजस्थान आवासन मण्डल

योजना की प्रारम्भ तिथि 15.01.2016

खुली बिक्री

योजना की अंतिम तिथि 30.03.2016

राजस्थान आवासन मण्डल के शहर जोधपुर की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जिला–जोधपुर में द्वारकापुरी योजना अन्तर्गत निर्मित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के फ्लेटों की खुली बिक्री योजना के द्वारा किराया क्रय पद्वति एवं नगद भुगतान पद्वति पर जहाँ है जैसी स्थिति में फ्लेट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। फ्लेटों का आवंटन प्रतिदिन किया जायेगा तथा एक फ्लेट हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आवंटन लॉटरी द्वारा उसी दिन आवंटन किया जायेगा।

आवेदन पत्र 100 रूपये के नगद भुगतान पर दिनांक 13.01.2016 से कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

फ्लेटों के आवंटन का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा :–

I. पूर्व पंजीकृत नगद भुगतान–प्रथम वरीयता।
II. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) नगद भुगतान–द्वितीय वरीयता।
III. पूर्व पंजीकृत क्रिराया क्रय पद्वति–तृतीय वरीयता।
IV. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) क्रिराया क्रय पद्वति–चतुर्थ वरीयता।

उपलब्ध आवासों के नम्बर, लागत एवं भूमि का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	प्लिंथ एरिया	लागत (रूपये)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (द्वारकापुरी योजना)	भू–तल :– 1-E-29, 7-B-54 & 7-P-26 प्रथम–तल :– 7-B-80, 7-L-07 & 7-L-36 द्वितीय–तल :– 1-E-18, 1-G-17, 4-Y-14, 5-J-17, 5-K-14, 17, 37, 7-B-39, 42, 7-D-14, 39, 7-L-20, 38, 40, 7-N-39, 7-O-14, 7-P-17 & 42 तृतीय–तल :– 1-E-43, 4-Y-118, 5-K-19, 7-B-44, 95, 7-D-47, 7-L-48, 7-M-22, 7-N-48, 7-O-46 & 7-P-45	29.80 Sqm	भू–तल – 8,06,900/- प्रथम–तल – 7,23,400/- द्वितीय–तल – 7,02,600/- तृतीय–तल – 6,60,800/-

नोट:– खुली बिक्री योजना की आवंटन प्रक्रिया, विशेष बिन्दु व अन्य शर्तें कार्यालय समय में आवासीय अभियन्ता खण्ड चतुर्थ, जोधपुर कार्यालय में एवं राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान व समय :– कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड चतुर्थ, सेक्टर 8–बी–105, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। समय:– 04:00 बजे तक।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (च) द्वारकापुरी आवासीय योजना, सेक्टर- 1,4,5 व 7 जोधपुर दूरभाष नं. :- 9983651500, 9983231487	कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड चतुर्थ, सेक्टर- 8-बी-105, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर दूरभाष नं. :- 0291-2731935, 9983993940

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत प्रथम, सेक्टर-5 बाईपास रोड,
कुड़ी भगतासनी, जोधपुर।

राज.संवाद/सी/15/5041

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड चतुर्थ, जोधपुर।

योजना की प्रारम्भ तिथि	सुनहरा अवसर	योजना की अंतिम तिथि
15-01-2016		30-03-2016

राजस्थान आवासन मण्डल के शहर जोधपुर की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जिला–जोधपुर में द्वारकापुरी योजना अन्तर्गत निर्मित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के फ्लेटों की खुली बिक्री योजना के द्वारा किराया क्रय पद्वति एवं नगद भुगतान पद्वति पर **जहाँ है जैसी स्थिति** में फ्लेट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। फ्लेटों का आवंटन प्रतिदिन किया जायेगा तथा एक आवास हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आवंटन लॉटरी द्वारा उसी दिन किया जायेगा।

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 100/–

फ्लेटों के आवंटन का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा :–

I. पूर्व पंजीकृत नगद भुगतान–प्रथम वरीयता।
II. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) नगद भुगतान–द्वितीय वरीयता।
III. पूर्व पंजीकृत क्रिराया क्रय पद्वति–तृतीय वरीयता।
IV. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) क्रिराया क्रय पद्वति–चतुर्थ वरीयता।

उपलब्ध आवासों के नम्बर, लागत एवं भूमि का क्षेत्रफल निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	प्लिंथ एरिया	लागत (रूपये)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	भू–तल :– 1-E-29, 7-B-54 & 7-P-26 प्रथम–तल :– 7-B-80, 7-L-07 & 7-L-36 द्वितीय–तल :– 1-E-18, 1-G-17, 4-Y-14, 5-J-17, 5-K-14, 17, 37, 7-B-39, 42, 7-D-14, 39, 7-L-20, 38, 40, 7-N-39, 7-O-14, 7-P-17 & 42 तृतीय–तल :– 1-E-43, 4-Y-118, 5-K-19, 7-B-44, 95, 7-D-47, 7-L-48, 7-M-22, 7-N-48, 7-O-46 & 7-P-45	29-80 Sqm.	भू–तल – 8,06,900/– प्रथम–तल– 7,23,400/– द्वितीय–तल– 7,02,600/– तृतीय–तल– 6,60,800/–

नोटः– खुली बिक्री योजना की आवंटन प्रक्रिया, विशेष बिन्दु व अन्य शर्तें कार्यालय समय में आवासीय अभियन्ता खण्ड चतुर्थ, जोधपुर कार्यालय में एवं राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान :– कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड चतुर्थ, सेक्टर 8–बी–105, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व)
द्वारकापुरी आवासीय
योजना, सेक्टर– 1,4,5 व 7
जोधपुर
दूरभाष नं. :– 9983651500, 9983231487

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड चतुर्थ, सेक्टर– 8–बी–105, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर
दूरभाष नं. :– 0291–2731935, 9983993940

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत प्रथम, सेक्टर–5 बाईपास रोड़, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर।
दूरभाष नं. :– 9828109429

राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आप अनावश्यक धन समय व श्रम के दुरूपयोग से मुक्ति पा लेते है ओर मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नही होती।
- मण्डल के मकानों पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से आसान ऋण सुविधा उपलब्ध है।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों पर डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षण पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते है।

–: सम्पर्क सूत्र :–

परियोजना अभियन्ता (व)
दूरभाष : 9983651500, 9983231487

आवासीय अभियन्ता रा. आ. म.,
खण्ड चतुर्थ, कुडी भगतासनी योजना
सेक्टर– 8–बी–105, जोधपुर
दूरभाष 0291–2731935, 9983993940

उप आवासन मण्डल
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत प्रथम, सेक्टर 5
बाईपास रोड़ कुड़ी भगतासनी जोधपुर
दूरभाष : 0291–2731744

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड चतुर्थ, जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना (द्वारकापुरी), जोधपुर के अन्तर्गत निर्मित फ्लेटों की खुली बिक्री योजना द्वारा प्रस्तावित आवास

विभिन्न आय वर्ग के आवासों को खुली बिक्री योजना के तहत जहाँ है जैसी स्थिति में आवंटन किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

योजना की प्रारम्भ तिथि 15.01.2016 **योजना की अंतिम तिथि 30.03.2016**

क्र.सं.	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	प्लिंथ एरिया	लागत (रूपये)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (द्वारकापुरी योजना)	**भू–तल :–** 1-E-29, 7-B-54 & 7-P-26	29.80 Sqm.	भू–तल – 8,06,900/– एवं अतिरिक्त चार्जेज नियमानुसार
		प्रथम–तल :– 7-B-80, 7-L-07 & 7-L-36	29.80 Sqm.	प्रथम–तल– 7,23,400/– एवं अतिरिक्त चार्जेज नियमानुसार
		द्वितीय–तल :– 1-E-18, 1-G-17, 4-Y-14, 5-J-17, 5-K-14, 17, 37, 7-B-39, 42, 7-D-14, 39, 7-L-20, 38, 40, 7-N-39, 7-O-14, 7-P-17 & 42	29.80 Sqm.	द्वितीय–तल– 7,02,600/– एवं अतिरिक्त चार्जेज नियमानुसार
		तृतीय–तल :– 1-E-43, 4-Y-118, 5-K-19, 7-B-44, 95, 7-D-47, 7-L-48, 7-M-22, 7-N-48, 7-O-46 & 7-P-45	29.80 Sqm.	तृतीय–तल– 6,60,800/– एवं अतिरिक्त चार्जेज नियमानुसार

नोट :– उपरोक्त लागत के अतिरिक्त कोने के आवास के कॉर्नर चार्जेज एवं अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो तो) की लागत देय होगी एवं मण्डल नियमानुसार लीज राशि भूमि का लागत का 2.5 प्रतिशत देय होगा।

–: योजना से सम्बन्धित प्रमुख नियम व शर्ते :–

1. यह आवासीय योजना राजस्थान आवासन मण्डल की विकसित योजना है जिसमें सड़क, नालियां, पार्क, पानी, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाए उपलब्ध है।
2. आवेदक उपलब्ध आवासों में से अपनी इच्छानुसार जो भी मकान चाहे क्रय कर सकता है। आवेदन पत्र में उस मकान का नंबर/संख्या अंकित करनी होगी जिसका उपलब्धता एवं वरीयता के आधार पर आवंटन किया जा सकेगा।
3. आवेदक नकद भुगतान पद्वति पर जितनी संख्या में चाहे उतने आवास एक साथ क्रय सकता है। लेकिन किराया क्रय पद्वति में एक व्यक्ति केवल एक आवास ही ले सकेगा।
4. इस योजनान्तर्गत मण्डल में पूर्व पंजीकृत आवेदकों के अतिरिक्त नए अपंजीकृत आवेदक भी आवास आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है। अपूर्ण आवेदन – पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ तालिका में वर्णित राशि का डिमांड ड्राफ्ट ''राजस्थान आवासन मण्डल'', जोधपुर के नाम से देय हो जमा कराना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड चतुर्थ, कुड़ी भगतासनी योजना, सेक्टर– 8–बी–105, जोधपुर में प्रस्तुत करने होगे जो उसी समय फार्म की जांच कर प्रार्थी को प्राप्ति रसीद देगा।
6. आवेदन पत्र 100/– रूपये के नगद भुगतान पर दिनांक 13.01.2016 से योजनावधि तक कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय में प्राप्त किये जा सकते है तथा दिनांक 15.01.2016 से दिनांक 30.03.2016 तक प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सांय 04:00 बजे तक पूर्ण आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करा सकते है। लॉटरी या आवंटन पश्चात् असफल आवेदक को तत्काल ही उसके द्वारा प्रस्तुत की गई डी.डी. वापस कर दी जायेगी।
7. आवेदक कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रतिदिन दर्शाये गये मकानों में से कोई इच्छित मकान ले सकेगा।
8. आवेदक पत्र प्रति दिन सांय चार बजे तक प्राप्त किये जायेगे।
9. इस योजना में नगद भुगतान पद्वति के तहत आवंटन पर वर्तमान में सर्विस टेक्स देय नहीं होगा। लेकिन किराया क्रय पद्वति के तहत आवंटन पर नियमानुसार सर्विस टेक्स देय है। नगद भुगतान पद्वति के विकल्प पर आवंटित आवास को किराया क्रय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
10. एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसमें पूर्व पंजीकृत उसी शहर के उसी वर्ग के आवेदक को वर्षवार प्राथमिकता दी जावेगी तथा सायं 5:00 बजे लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर वरीयता निम्नानुसार होगी।
    - I. पूर्व पंजीकृत नगद भुगतान।
    - II. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) नगद भुगतान।
    - III. पूर्व पंजीकृत क्रिराया क्रय पद्वति।
    - IV. अपंजीकृत (वर्तमान आवेदक) क्रिराया क्रय पद्वति।
11. यह योजना किराया क्रय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति की है व आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के पक्ष में देय हो बनाकर जमा करवाना होगा।

क्र.सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राशि (रूपये में)	प्रथम सीडमनी राशि	प्रासेसिंग शुल्क	कुल देय राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	100000/– तक	7000	5000/–	500/–	12,500/–

12. पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण निरस्त नहीं होने अथवा पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व में पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने का 20/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी सत्यापित शपथ–पत्र देना होगा।

13. आवेदन पत्र मूल आवेदक के स्वयं कार्यालय में उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।
14. मकानों के आवंटन के लिए संस्थाए/व्यापारिक प्रतिष्ठान/अर्द्धसरकारी संस्थान तथा राज्य उपक्रम भी समूह में आवास लेने हेतु नगद भुगतान पद्वति में आवेदन कर सकते है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सक्षम स्वीकृती के पश्चात् आवंटन किया जा सकता है। लेकिन उक्त आवंटन केवल आवासीय उपयोग हेतु ही किया जाऐगा।
15. एक परिवार के नियमानुसार योग्य व्यक्तियों को उपलब्धता के आधार पर एक साथ आवास आवंटित किये जा सकते है।
16. आवेदक नकद भुगतान पद्वति पर क्रय किये गये आवास के लिए यदि किसी भी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना चाहेगा तो मण्डल को कोई आपती नहीं है।
17. आवास का कब्जा लेने से पूर्व आवंटी द्वारा विविध खर्च भी देय होगा जिनका मकान के विक्रय मूल्य में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे।
    (क) किराया क्रय पद्धति चार्जेज :– किराया क्रय पद्धति में आवंटन पर एक अग्रिम मासिक किश्त एवं किराया क्रय अग्रिम राशि कुल कीमत का 5 प्रतिशत देय होगी।
    (ख) लीज :– आवास का कब्जा लेने तक लीज मनी की राशि आवंटन पत्र में अंकित राशि में सम्मिलित होगी कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् नियामानुसार अर्द्ध वार्षिक लीज मनी की राशि जो जनवरी व जुलाई में देय होती है प्रतिवर्ष जमा करवानी होगी, जो राज्य सरकार को देय होती है। आवंटी चाहे तो 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने के पश्चात इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। जिसकी वर्तमान दर भूमि की लागत का 2ण्5ः वार्षिक है।
    (ग) विविध प्रभार :– मण्डल नियमानुसार आवंटन पत्र में अलग से वसूल की जायेगी।
    (घ) मण्डल में पंजीयन हेतु नक्शों की राशि 500/– आवंटन पत्र में अलग से वसूल की जायेगी।
    (ङ) सेवाकर–वर्तमान में किराया क्रय पद्वति पर आवंटित आवास की स्थिति में पृथक से देय होगा जिसकी वर्तमान दर 3ण्63ः है।
    (च) अतिरिक्त भूमि अथवा कोने के मकान हेतु :– अतिरिक्त भूमि की दर वर्तमान भूमि एवं विकास दर की डेढ़ गुणा होगी तथा कोने के आवास हेतु निर्माण लागत का 2ः पृथक से देय होगा।
    (छ) अन्य खर्चे :– अन्य विविध खर्चे जो मण्डल में समय समय पर निर्धारित है या निर्धारित होगी वसूलनीय है।
18. सम्पति निस्तारण विनियम 1970 के विनिमय 17 व 18 में अभिकथित संबंधित अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी की स्वयं सम्पति पर करो के मय शेष बकायों का भुगतान करना होगा, जैसे सेवाकर, आवास सम्पति कर, नगरपालिका कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क रू. 18,000/– भौतिक कब्जे के समय जमा कराने हेांगें व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगें।
19. आवास का आवंटन हो जाने के पश्चात् आवंटी को आवास को स्वयं के खर्चे पर आवास की रजिस्ट्री करानी होगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ–2(2) वित्त/ग्रुप–4/90 दिनांक 31.01.1992 के अनुसार एवं नवीनतम अधिसूचना भी लागु होगी।
20. आवेदक यदि चाहे तो एक से अधिक मकान भी नगद भुगतान पद्वति से ले सकेगा। यदि आवेदक एक से अधिक मकान लेना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन पत्र में पंजीकरण राशि प्रति मकान के हिसाब से अलग अलग जमा करानी होगी।
21. इस योजना के अन्तर्गत आवास का आवंटन किराया क्रय पद्वति पर होने पर 1 माह एवं नगद भुगतान पद्वति पर आवंटित मकानों का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह में मांगी गई वांछित राशि मय आवश्यक प्रपत्रों सहित जमा करानी होगी। निश्चित समयावधि में देय राशि जमा नहीं होने पर आवंटी को समयावधि वृद्वि हेतु देय राशि की 1 प्रतिशत राशि एवं सेवाकर राशि जमा करवाकर आवेदन कर सकता है। सक्षम स्तर पर समयावृद्वि हेतु देरी जमा करायी जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डनीय ब्याज सहित निर्णय लिया जायेगा। यदि आवंटी 6 माह तक भी राशि जमा नहीं कराता है तो मण्डल को आवंटी के बिना सूचना दिये उक्त आवंटन निरस्त कर पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि काटकर शेष पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटाने हेतु स्वतत्र होगा इसके लिए पृथक से नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

22. आवेदक को सलाह दी जाती है कि अपने पते में परिवर्तन की सूचना राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर के पते पर लिखित में मय सबूत के यथा शीघ्र दे, अन्यथा गलत पते के कारण पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

23. आवेदक पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृपया देखें :–

I. आवेदक पत्र में वांछित मकान का सही नम्बर लिख दिया गया है।

II. पंजीकरण की पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट तथा चालान की प्रतिया आवेदन के साथ जमा करा दी गई है। डी.डी. के पीछे नाम, मकान नं., आवेदन क्रमांक व मोबाईल नम्बर लिख दिया है।

III. आय का प्रमाण पत्र/पेन कार्ड की प्रति/आयकर फार्म नं. 16 की प्रति संलग्न कर दिया है।

IV. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये है एवं सत्यापित कर दिये गये है।

V. आवेदन पत्र पर लगाये गये फोटो स्वयं प्रमाणित कर लिया गया है।

VI. तत्संबंधी प्रमाण/शपथ संलग्न कर दिया गया है।

VII. पत्र व्यवहार हेतु पते का आई डी प्रूफ संलग्न कर दिया है।

VIII. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

24. मूल आवेदक के ज्ञल्ब के अन्तर्गत विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान का एव ंपते का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

25. आवासों का आवंटन ''जहां है जैसा है'' कि स्थिति के अनुसार किया जावेगा। इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।

26. आवास की बिक्री के अंतिम तिथि से पूर्व मकानों की बिक्री पूर्ण होने पर अंतिम तिथि वही मानी जावेगी।

27. योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के एवं दर्शाये गये आवासों की संख्या कम व ज्यादा करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा। योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

28. आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 के अन्तर्गत किया जाता है। अतः उपरोक्त अधिनियम के समस्त नियम उपनियम उक्त आवंटन पर भी प्रभावी रहेंगें।

दिनांक :– आवेदक के हस्ताक्षर

वेतन भोगी आवेदको के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... श्री .... इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में .... पद पर कार्यरत है एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है। इनकी केवल सकल वार्षिक आय वर्ष 2014–15 में रू................................... थी।

विभागाध्यक्ष,
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

(शपथ पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

सभी आवेदकों के लिए

शपथ – पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

सशपथ बयान करता/करती हूँ :—

1. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से राज्य में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी का कोई भी मकान आवंटित नहीं किया गया है।
2. मुझ पर आश्रित किसी भी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री को आवासन मण्डल द्वारा राज्य में कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का आवंटित नहीं किया गया है।
3. मुझे मेरे पति/पत्नि या मुझ पर आश्रित वयस्क, अव्यस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री को स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगरपालिका अथवा पंचायत समिति, द्वारा .... शहर में आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं किया गया है।
4. मैं अथवा मुझ पर आश्रित कोई भी सदस्य मण्डल में पंजीकृत आवेदक नहीं है।
5. मैने/अथवा मुझ पर आश्रित किसी भी सदस्य द्वारा राज्य के किसी शहर में आवासन मण्डल का अन्य कोई मकान भी क्रय नही किया है।

शपथ गृहित
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवास .... जाति ....

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है वह मेरी/निजी जानकारी मैं पूर्णतया सत्य है मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं हैं।

शपथ गृहित
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए

शपथ – पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवास .... आयु ....

जाति .... (अनुसूचित जाति/ जनजाति यदि है तो अंकित करें)

सशपथ बयान करता/करती हूँ :–

1. कि हमारी वर्ष 2014–15 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्नप्रकार थी :–

   (अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रूपये थी।

   (ब) मेरे पति/पत्नि, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार उद्योग एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रूपये थी।

   (स) कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में मेरे परिवार की कुल आमदनी .... रूपये थी।

शपथ गृहित
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवास .... जाति ....

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी मैं है एवं पूर्णतया सत्य है मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं हैं।

शपथ गृहित
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

आवेदक पत्र सं. OCS/2016/ ……..

राजस्थान आवासन मण्डल : खण्ड–चतुर्थ

कुड़ी भगतासनी योजना, जिला–जोधपुर

खुली बिक्री योजनान्तर्गत **"पहले आओ पहले पाओ"** आधार पर आवास प्राप्त करने हेतु

योजना प्रारम्भ तिथि :– 15.01.2016 योजना अन्तिम तिथि :– 30.03.2016

आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता का नवीनतम स्वयं प्रमाणित फोटो

1. (क) शहर का नाम : जोधपुर
   (ख) कॉलोनी का नाम : कुडी भगतासनी (द्वारकापुरी) आवासीय योजना, जोधपुर।
   (ग) आवास संख्या : ……………………… श्रेणी – EWS
   (जो खरीदना चाहते है) **(जहाँ है जैसी स्थिति में)**
   (घ) भुगतान पद्वति : किराया क्रय पद्वति/नकद भुगतान पद्वति
   (……………………………………………)
   हाथ से लिखे व हस्ताक्षर करें
2. आवेदक का नाम : ……………………………………………………………………
3. पिता/पति का नाम : ……………………………………………………………………
4. राष्ट्रीयता : ……………………………………………………………………
5. पूर्ण पता मय फोन/मो. नं. : ……………………………………………………………………
   (पते के प्रमाण की प्रति संलग्न करें): ……………………………………………………………………
6. व्यवसाय का स्वरूप एवं आय का स्त्रोतः वैतनिक/अवैतनिक : ……………………………………………
7. जन्म तिथि एवं आयु : ……………………………………………………………………
8. आवेदक की कुल वार्षिक आय (2014–15) : आयकर विवरणी/फार्म नं. 16 संलग्न करें।
   (क) स्वयं का आय : ……………………………………………………………………
   (ख) पति/पत्नी की आय : ……………………………………………………………………
   (ग) आश्रित की आय : ……………………………………………………………………
   (क,ख,ग) कुल वार्षिक आय : ……………………………………………………………………
9. बोर्ड में पूर्व पंजीकरण का विवरण (यदि कोई हो तथा अभी तक पंजीकरण निरस्त नहीं हुआ है और आवास आवंटित नहीं हुआ है)
   (क) पंजीकरण योजना तथा शहर का नाम : ……………………………………………………
   (ख) आय वर्ग : ……………………………………………………………………
   (ग) पंजीकरण का वर्ष : ……………………………………………………………………
   (घ) जमा राशि का विवरण : ……………………………………………………………………

नोट– पूर्व पंजीकरण के प्रमाण स्वरूप आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें।
20/– के नाॅन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें।

कृ.पृ.उ. हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक पत्र सं. OCS/2016/ ………

राजस्थान आवासन मण्डल : खण्ड–चतुर्थ

कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

खुली बिक्री योजनान्तर्गत **"पहले आओ पहले पाओ"** आधार पर आवास प्राप्त करने हेतु

–ः आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :–

श्री/श्रीमती ……………………………………………………… से मकान सं. ………………… वर्ग EWS हेतु उपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र दिनांक ……………………… को ………………बजे प्राप्त किया। एवं रजिस्टर के पेज नं./क्रमांक……………………… पर इन्द्राज किया गया है।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या……………………………………… दिनांक ………………………………

बैंक का नाम ……………………………………………… शाखा ………………………………………………

(नोटः– उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदक स्वयं करें) हस्ताक्षर (प्राप्तकर्ता का मय नाम)

10. खुली बिक्री योजनान्तर्गत आवास खरीदने हेतु पंजीकरण राशि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... राशि ....
बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाने बैंक का नाम ....

(ड्राफ्ट **राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर** के पक्ष में जोधपुर में भुगतान योग्य देय हो।)

सत्यनिष्ठ कथन :–

(क) मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोतम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(ख) मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण के अनुबंधनो एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और इसके द्वारा में उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

(ग) मैने राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण विनियम, 1970 को पढ़ लिया है और इन्हे मै स्वीकार करता/करती हूँ। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में उपलब्ध आवासों में से अपने विवेकानुसार आवास जैसा है जहां है की स्थिति में आवंटन हेतु निवेदन करता/करती हूँ और मैं आवंटन स्वीकार करने के लिए सहमत हूँ।

(घ) आवास आवंटन पश्चात् मण्डल द्वारा मांग राशि निर्धारित तिथि तक जमा करवा दुंगा/दुंगी, निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करवाने पर मण्डल मेरे उक्त पंजीकरण आवेदन को निरस्त करने तथा जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार जब्त करने को स्वतंत्र रहेगा।

(ड) आवास पूर्वतः आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जायेगा।

(च) मेरी मृत्यु होने की दशा में मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशिती (नोमिनी) के रूप में निर्देशित करता/करती हूँ :–

क्र. सं.	नाम	आयु	संबंध
1			
2			
3			

आवेदक की पहचान हेतु

नाम हस्ताक्षरकर्ता	अगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमिका	अनामिका	कनिष्ठा

संलग्न :

(1) ड्राफ्ट मय चालान व फार्म
(2) पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
(3) पते के प्रमाण की सत्यापित प्रति
(4) आय का शपथ पत्र/आयकर विवरणी
(5) पेन कार्ड की प्रति (यदि लागू हों)
(6) अन्य

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
....
स्थान : दिनांक :

हस्ताक्षर सत्यापित :–
मय सील

....

चलान सं. OCS/2016/ ……….
राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर
(खुली बिक्री योजना 2016 के अन्तर्गत राशि जमा कराने का चालान फार्म)

प्रथम–प्रति

(यह बैंक द्वारा रख ली जायेगी)

1. आवासीय योजना : कुड़ी भगतासनी योजना (द्वारकापुरी)
2. फ्लेट सं. ………………………………
3. आय वर्ग ………………………………

दिनांक ………………

फ्लेट प्राप्त करने हेतु रकम जमा कराने वाले प्रार्थी का पूरा नाम व पता	रकम का ब्यौरा	
	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	रकम
कुल योग		

(शब्दों में) …………………………………………………………………
…………………………………………

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त रकम प्राप्त की।
खजाची
बैंक

चलान सं. OCS/2016/ ---------
राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर
(खुली बिक्री योजना 2016 के अन्तर्गत राशि जमा कराने का चालान फार्म)

द्वितीय–प्रति

(बैंक द्वारा मण्डल को दैनिक खाते भेजने के लिए)

1. आवासीय योजना : कुड़ी भगतासनी योजना (द्वारकापुरी)
2. फ्लेट सं. ………………………………
3. आय वर्ग ………………………………

दिनांक ………………

फ्लेट प्राप्त करने हेतु रकम जमा कराने वाले प्रार्थी का पूरा नाम व पता	रकम का ब्यौरा	
	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	रकम
कुल योग		

(शब्दों में) ……………………………………………………………
……………………………………………………

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त रकम प्राप्त की।
खजाची
बैंक

चलान सं. OCS/2016/ ------------
राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर
(खुली बिक्री योजना 2016 के अन्तर्गत राशि जमा कराने का चालान फार्म)

तृतीय–प्रति

(आवेदन पत्र के साथ कार्यालय उपयोग हेतु)

1. आवासीय योजना : कुड़ी भगतासनी योजना (द्वारकापुरी)
2. फ्लेट सं. ………………………………
3. आय वर्ग ………………………………

दिनांक ……………………

फ्लेट प्राप्त करने हेतु रकम जमा कराने वाले प्रार्थी का पूरा नाम व पता	रकम का ब्यौरा	
	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	रकम
कुल योग		

(शब्दों में) ……………………………………………………………
…………………………………………………………

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त रकम प्राप्त की।
खजाची
बैंक

चलान सं. OCS/2016/ ------------
राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर
(खुली बिक्री योजना 2016 के अन्तर्गत राशि जमा कराने का चालान फार्म)

चतुर्थ–प्रति

(आवेदक की प्रति)

1. आवासीय योजना : कुड़ी भगतासनी योजना (द्वारकापुरी)
2. फ्लेट सं. ………………………………
3. आय वर्ग ………………………………

दिनांक …………………………

फ्लेट प्राप्त करने हेतु रकम जमा कराने वाले प्रार्थी का पूरा नाम व पता	रकम का ब्यौरा	
	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	रकम
कुल योग		

(शब्दों में) …………………………………………………………………
…………………………………………

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त रकम प्राप्त की।
खजाची
बैंक